>

Title: Need to provide reservation facilities to the Members of Muslim community doing similar vocation as being done by SC and STs in Hindu community

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, भारत के संविधान के अनुसार इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रावधान है। समाज के पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति तथा कार्य के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में यह भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में जो हिन्दू समाज के लोग हैं, उन्हें तो आरक्षण एवं अन्य लाभ मिलते हैं, परंतु उसी नाम की जातियां जो मुस्लिम समाज में हैं, उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं माना जाता है। जैसे हिन्दू समाज में मेहतर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा है, मगर मुस्लिम मेहतर को यह सुविधा नहीं है। वैसे ही हिन्दू धोबी तथा मुस्लिम धोबी तथा अन्य जातियों का भी मामला है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस विसंगति को दूर करे।

(इति)